

चुनाव सुधार वर्तमान आवश्यकता

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में चुनाव सुधार और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टिकोण के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

हम अक्सर अपनी राजनीतिक प्रणाली को वर्तमान हालात के लिये दोषी करार देते हैं, लेकिन क्या यह प्रणाली भाव-शून्यता में काम कर रही है? जानकारों की माने तो इस समस्या में समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिये समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये सबसे अच्छे नागरिकों को जन प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिये जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और नष्पिक्व होंगे। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो चुने गए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है।

इस आलेख में न केवल चुनाव प्रणाली की दरारों एवं खामियों पर चर्चा की जाएगी बल्कि चुनाव सुधार की दृष्टि में 'वर्क इन प्रोग्रेस' के छद्म आवरण से बाहर निकल कर ठोस समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों?

- राजनीतिक जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतर्हीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय नचिले सदन के लिये सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है।
- नरिवाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं। फलस्वरूप वे नष्पिक्व रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं।
- भारतीय चुनाव में सत्तारुढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिये प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के वरिद्ध वषिक्षी दल हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी वषिक्षी दल सत्तारुढ़ हुआ तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया है।
- भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। परिणामस्वरूप अनेक नागरिक अपने मतधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं।
- नरिदलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रणाली की एक बड़ी समस्या है। प्रायः नरिदलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिये किया जाने लगा है।
- इसके अतिरिक्त जाली व फर्ज़ी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, नरिवाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में पर्याप्त अवसरचना का अभाव इत्यादि हैं।

स्वतंत्र और नष्पिक्व चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक

- प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का बयौरा नहीं देते हैं। वे अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय तथा शैक्षिक योग्यता का वविरण नहीं देते हैं।
- चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति नरिवाचन को प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है।
- पछिले कुछ वर्षों में कानून-सम्मत और असल खर्चों के बीच अंतर काफी बढ़ा है।
- चुनाव जीतने के लिये उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हसिा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी पर अब बाकी प्रांतों में भी फैल रही है।
- अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिये राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को

समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्यवाही न की जाए।

- इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिये इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतियोगियों द्वारा बड़े पैमाने पर नरिदलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सकें।
- ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जातियाँ समूह से आते हैं। ये जाति, समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकिट दिये जाएँ।
- जाति आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार कर रही है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, कृषमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होता है।
- स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलनों को जन्म दिया। साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ नरिपेक्षता के संघीय ढांचे के लिये गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ एवं आयोग

वभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जाँच की है और सुधार के सुझाव दिये हैं। ये समितियाँ एवं आयोग नमिन्लखित हैं-

- तारकुंडे समिति (वर्ष 1974-75)
- चुनाव सुधार पर दनिश गोस्वामी समिति (वर्ष 1990)
- राजनीतिक अपराधी करण पर वोहरा समिति (वर्ष 1993)
- चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंदरजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998)
- चुनाव सुधारों पर वधिआयोग की रपिर्ट (वर्ष 1999)
- चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रपिर्ट (वर्ष 2004)
- शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति (वर्ष 2007)
- चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (वर्ष 2010)

उपरोक्त समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गए हैं। नमिन्लखित दो कालखंडों में बाँट कर इनका अध्ययन किया जा सकता है।

- वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार
- वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार

वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार

- संवधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी, कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।
- इस अवधि में ये कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे।
- नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10 फीसदी का इजाफा किया गया।
- राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना।
- दो से अधिक निरवाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित न होना।
- इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रचलन में आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके।
- अतः सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगलुरु) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (हैदराबाद) के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा EVM को तैयार किया गया।
- दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें आयोग को EVM मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया।
- प्रयोग के तौर पर EVM का पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था।
- वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ।

वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार

1. एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध

- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्ज़िट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्ज़िट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकता है।

2. चुनावी खर्च पर सीलिंग

- लोकसभा सीट के लिये चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए कर दिया गया है वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए तक है।

3. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान

- सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।
- वदियों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी नरिवाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।

4. जागरूकता और प्रसार

- युवा मतदाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सलिसला वर्ष 2011 से शुरू हुआ।
- 20,000 रुपए से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना।

5. नोटा

- वर्ष 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी नन ऑफ द एबव (None of the above)।
- यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पंसद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है।
- पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन इससे मतदाता के वोट आफ सकिरेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुँचता था।

6. मतदाता नरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल

- यह EVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उसने मत डाला है।
- जब मत पड़ता है तो एक मुद्रति पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम रहता है जिस मत दिया गया है।

7. तकनीकी का प्रयोग

नरिवाचकों के लिये कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का नरिमाण, व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फरजी और डुप्लीकेट इंट्री को खत्म करने के लिये डी-डुप्लीकेशन तकनीक लाना। मतदान प्रक्रिया की वडिथि रिकॉर्डिंग कराना।

आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कोमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है, इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की नगरानी करना संभव हो गया है।

GPS का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रयिल टाइम नगरानी भी की जा रही है।

चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये 'सीवजिलि' एप लॉन्च किया है।

भारतीय नरिवाचन पद्धतिकी आलोचना

- भारत में फरसूट पासट व पोसूट वधिसे जनप्रतनिधि चुने जाते हैं। अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार वजियी होता है। इसलिये जनि राजनीतिक दलों के वोट बखिरे हुए हैं, उन्हें कुल मलिकर अच्छा-खासा वोट मलिन के बावजूद मुमकनि है कि उसके प्रतनिधिजीतकर न आएँ।
- ये राजनीतिक दल जनि सामुदायिक वर्गों का प्रतनिधित्व करते हैं, उन समूहों की आवाज़ सदन में अनसुनी रह सकती है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को यूपी में लगभग 20% और देश में 4.1% वोट मल्ले। परणामस्वरूप वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, फरि भी लोकसभा में उसका कोई प्रतनिधि नहीं था।
- इसी प्रकार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बहिर में 15% वोट मल्ले, लेकिन उसका एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। यह प्रणाली भारत की नरिवाचन पद्धतिका एक प्रमुख दोष है।

आगे की राह

- साफ-सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत ज़रूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।
- चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिये तथा इसका सख्ती से पालन होना चाहिये।
- पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये। इनके ज़रिये जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जिसका असर चुनावों पर होता

है।

- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के वनियमन के लिये आचार संहिता नरिमति करने की आवश्यकता है।
- 'वन नेशन वन इलेक्शन' के मुद्दे पर व्यापक वचिर-वमिरश आयोजति करने की आवश्यकता है।

प्रश्न- 'सवतंत्र और नषिपक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।' भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावति करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए चुनाव सुधार की दशा में कयि जा रहे प्रयासों का वश्लेषण कीजयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/for-a-level-playing-field-on-election-reforms>

